संख्या-869/22-2-2014-17(26)/2002

प्रेषक,

पलबिन्दर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 अक्टूबर, 2015

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी शिवराज सिंह पुत्र श्री मेहमन्त सिंह, निवासी जनपद-इटावा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15647/पर-2(एम0 05-06-2014) दिनांक-18-06-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शिवराज सिंह पुत्र श्री मेहमन्त सिंह, निवासी ग्राम-बाउथ, थाना-जसवन्त नगर, जनपद-इटावा का निवासी है। 1-बन्दी द्वारा 6000/- रूपये उधार मांगने पर न दिये जाने से नाराज होकर बन्दी ने दिनांक 01-01-1987 को प्रातः लगभग 10:00 बजे बन्दूक से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की। 2-घटना से 02 दिन पूर्व खाने की थाली छीनने को लेकर हुए झगडे के कारण बन्दी ने दिनांक 01-02-1987 की रात्रि लगभग 01:00 बजे जिला कारागार, इटावा की बैरक में निरूद्ध विचाराधीन बन्दी सुरेश की ईट से मारकर हत्या की। उपरोक्त अपराधो हेतु बन्दी को 1- सत्र परीक्षण संख्या-147/1987 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट, इटावा द्वारा दिनांक 09-02-1989 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। 2- बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-307/1987 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, इटावा द्वारा दिनांक 16-04-1991 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार बन्दी शिवराज सिंह, दोहरे आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित है। बन्दी द्वारा दिनांक 13-01-2014 तक प्रथम केस में 26 वर्ष 03 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 34 वर्ष 04 माह 23 दिन की सपरिहार सजा तथा दूसरे केस में 25 वर्ष 08 माह 25 दिन की अपरिहार तथा 33 वर्ष 03 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सलाहकार समिति द्वारा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बन्दी शिवराज सिंह पुत्र श्री मेहमन्त सिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिवराज सिंह (बन्दी संख्या-9276) पुत्र श्री मेहमन्त सिंह, निवासी ग्राम-बाउथ, थाना-जसवन्त नगर, जनपद-इटावा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-869/(1)/22-2-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

क1

http://shasanadesh.up.nic.in